

आवेदन करें, तय समय में होगा काम

पटना : राज्य सरकार ने 15 अगस्त से प्रदेश में लोक सेवा का अधिकार लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है. 16 अगस्त से सरकारी कार्यालयों में यह दिखने लगेगा. इसके तहत आम लोगों के सरकारी दफ्तरों में कार्य महज तीन दिन से 60 कार्य दिवसों के बीच निबटा दिये जायेंगे. इसके लिए सभी डीएम व निचले स्तर के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भेज दिये गये हैं.

दाखिल-खारिज तीन दिनों में

दाखिल-खारिज के मामले में आदेश हो जाने पर परची तीन कार्य दिवसों में निर्गत कर देनी है. अधिकतम 60 कार्य दिवसों का समय नये राशन कार्डों के आवेदन के निबटारे के लिए निर्धारित किया गया है. विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के आवेदन को अनुमंडलाधिकारी के यहां भेजने के लिए बीडीओ को 21 कार्य दिवस का समय दिया गया है. इसके बाद अनुमंडलाधिकारी अगले 21 कार्य दिवसों में इसे निष्पादित कर देंगे. जाति प्रमाणपत्र के लिए अंचलाधिकारी स्तर पर 21 और अनुमंडलाधिकारी स्तर पर 21 कार्य दिवस निर्धारित किये गये हैं.

अब नहीं चलेगा टालू रवैया

आवासीय प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र के लिए भी 21-21 दिनों का समय निर्धारित किया है. सरकार ने 15 अगस्त से परिवहन विभाग के लिए निबटाये जानेवाले कार्यों की तिथि निर्धारित कर दी है. इसके मुताबिक जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा करों की निर्धारण परची के लिए सात दिन, लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 15 दिन, दूसरे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 30 दिन, ड्राइविंग लाइसेंस की दूसरी प्रति के लिए 15 दिन, ड्राइविंग लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में परिवर्तित करने के लिए 15 दिन, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 30 कार्य दिवस तय किये गये हैं.

लाइसेंस के लिए समय तय

वाहनों के अस्थायी निबंधन के लिए 15 दिन, नये निजी और परिवहन वाहनों के लिए 30 दिन, निबंधन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए 15 दिन, वाहनों के निबंधन के रद्दीकरण के लिए 45 दिन, पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस जारी करने एवं नवीकरण के लिए 30 दिन और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के जांच प्रतिवेदन लिए 15 दिनों का समय निर्धारित किया गया है.

15 अगस्त से शहरी इलाकों में होल्डिंग के मामले 45 दिनों में निबटाये जाने हैं. निबंधन कार्यों के आवेदन तीन दिन से 14 कार्य दिवसों में निबटाये जायेंगे.

पांच दिनों में देना होगा अंकपत्र

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अंक पत्र महज पांच दिन में उपलब्ध करा दिये जायेंगे. अंक पत्र, अस्थायी या मूल प्रमाणपत्र तथा माइग्रेशन प्रमाणपत्र को 10 दिनों में सुधार दिया जायेगा.

अंकों की दोबारा गणना के लिए 15 और निबंधन व विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए सात कार्य दिवस, विवि द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों के लिए 30 कार्य दिवस निर्धारित किये गये हैं.

भूमि से संबंधित कार्य

पोजीशन से संबंधित प्रमाणपत्रों को 10 कार्य दिवसों में पूरा कर देना है. आपत्ति रहित दाखिल खारिज को 18 कार्य दिवसों में निबटाना है. आपत्ति होने की स्थिति में 30 दिन शिविर में आपत्ति रहित मामले का निष्पादन 15 कार्य दिवसों में पूरा कर लेना है.

वैट के लिए 15 दिन

वैट मामले के लिए सरकार ने 15 कार्य दिवस निर्धारित किये हैं. प्रपत्र-सी या एफ में अनुदान के आवेदन को सात कार्य दिवस में निष्पादित करना है.